क्रम-संख्या–31(क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 25 फरवरी, 2020

फाल्गुन 6, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3

संख्या 158/76–3–2020–10जी.डब्लू–2014 (नियमावली)
लखनऊ, 25 फरवरी, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०–8

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली, 2020

अध्याय-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2-(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) से है;

(ख) ''चालान'' का तात्पर्य धारा 48 के अधीन सृजित भूगर्भ जल निधि में फीस जमा करने या कोई धनराशि जमा करने की रसीद से है;

(ग) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से अनुलग्न प्रपत्र से है;

(घ) ''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा, जब तक कि वह विनिर्दिष्ट न हो, से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय-दो

समुचित प्राधिकरणों के सदस्यों की पदावधि

गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि

3-धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ) और(ङ), धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ), धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ), धारा 6 के उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) और धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (16), (17) और (18) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

गैर-सरकारी सदस्यों की न्यूनतम अर्हता

4-नियम-3 में विनिर्दिष्ट सदस्यों की न्यूनतम अर्हता, इस नियमावली में संलग्न अनुलग्नक के अनुसार होगी।

समुचित प्राधिकरणों की बैठकें

5-समुचित प्राधिकरणों की बैठकें ऐसे समय में होंगी जैसा कि किसी प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा निदेशित किया जाय परन्तु यह कि लगातार दो बैठकों की अवधि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी-

(क) ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समिति, खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति, नगरपालिका भूगर्भ जल प्रबंधन समिति, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के मामले में तीस दिन;

(ख) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के मामले में नब्बे दिन।

अध्याय-तीन

अधिसूचित और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में कूपों का रजिस्ट्रीकरण

अधिसूचित और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में उपयोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया, समय सीमा, प्रारूप फीस और अन्य उपबन्ध

6-कूप-रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया -

(1) कोई विद्यमान वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता, जो अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से पूर्व अधिसूचित क्षेत्र या गैर अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालने या उसका उपयोग करने के लिए कोई कूप खोदा हो अथवा किसी गैर अधिसूचित क्षेत्र का कोई भावी वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता, प्रपत्र-1(क) में अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) या धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन करेगा।

(2) कोई विद्यमान वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता, जो अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से पूर्व अधिसूचित क्षेत्र या गैर अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालने या उसका उपयोग करने के लिए कोई कूप खोदा हो और उसके पास भूगर्भ जल निकालने या उसका उपयोग करने के लिए या तो केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा या भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी विधिमान्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो, प्रपत्र 1(ख) में अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) या धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर करेगा।

(3) नियम 6 के उपखण्ड (1) में उल्लिखित भूगर्भ जल उपयोक्ता से भिन्न प्रत्येक विद्यमान भूगर्भ जल उपयोक्ता जिसमें घरेलू और कृषि सम्बन्धी भूगर्भ जल उपयोक्ता सम्मिलित हैं, जो अपने परिसर या कृषि भूमि की जोतों में कूप खोदा हों या बोरिंग करायी हो, अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) या धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन, प्रपत्र 1(ग) में यथास्थिति खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति या नगरपालिका जल प्रबन्धन समिति को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से छः माह की अवधि के भीतर करेगा।

(4) नियम 6 के उपखण्ड (1) में उल्लिखित भूगर्भ जल उपयोक्ता से भिन्न प्रत्येक भावी भूगर्भ जल उपयोक्ता, जिसमें घरेलू तथा कृषि सम्बन्धी भूगर्भ जल उपयोक्ता सम्मिलित हैं, जो अपने परिसर या कृषि भूमि जोतों में कूप खोदना चाहता हो या बोरिंग कराना चाहता हो, अधिनियम की धारा 10 या धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन, प्रपत्र 1(घ) में ऐसे कूप की खुदाई के पूर्व यथास्थिति खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति या नगरपालिका जल प्रबन्धन समिति को करेगाः

परन्तु यह कि किसी उपयोक्ता, जो क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालने या उसका उपयोग करने के लिए एक से अधिक कूप की खुदाई कराया हो, में प्रत्येक कूप के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

(5) प्रपत्र-1 आनलाइन वेब पोर्टल www.upgwdonline.in से निःशुल्क डाउनलोड किया जाएगा।

(6) प्रपत्र को अनुचित रूप से भरे जाने और प्रपत्र 1 में विनिर्दिष्ट समस्त आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करने में विफल होने पर आवेदन अस्वीकृत किए जाने योग्य होगा।

(7) उपरोक्त उप खण्डों में यथा उल्लिखित समस्त आवेदन www.upgwdonline.in वेबपोर्टल पर आनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे।

7-रजिस्ट्रीकृत कूप में उपांतरण या परिवर्तन किए जाने की प्रक्रियाः-

(1) यदि अधिसूचित क्षेत्र में कोई रजिस्ट्रीकृत वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता, जिसके पास रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र हो, रजिस्ट्रीकृत कूप में कोई उपांतरण या परिवर्तन करना चाहता हो, तो यथास्थिति वह या व्यक्ति समूह या अभिकरण को सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को तद्निमित्त प्रपत्र 2(क) जमा करके राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त करना होगा। इसके लिए सम्बन्धित उपयोक्ता को नियम 10 के उपनियम (1) में यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(2) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता गैर अधिसूचित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकृत कूप में कोई उपांतरण, संशोधन या परिवर्तन करना चाहता हो तो यथास्थिति उसे या किसी व्यक्ति समूह या अभिकरण को तद्निमित्त संबंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को प्रपत्र 2(ख) प्रस्तुत करके जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद से अनापत्ति प्राप्त करना होगा। इसके लिए सम्बन्धित उपयोक्ता को नियम 10 के उप नियम (1) में यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

8-जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद या नगरपालिका जल प्रबंधन समिति या खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का निस्तारणः-

(1) नियम 6 के उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने पर, यदि जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद यह समझती है कि आवेदन, अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) या धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिये है, तो वह, अपनी बैठक में समाधान हो जाने के पश्चात् मामले को अनुमोदित कर सकती है और उपयोक्ता को प्रपत्र-3(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकती है और यदि संबंधित जिला स्तरीय प्राधिकरण का उस मामले में समाधान नही होता है, तो वह सारवान कारण देने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने से अस्वीकृत कर देगा और प्रपत्र 4(क) में उपयोक्ता को तदनुसार सूचित कर देगा।

(2) नियम 6 के उप नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने पर, विद्यमान वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता, जो केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा या भूगर्भ जल विभाग द्वारा जारी विधिमान्य अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करता है, स्वतः रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाएगा। ऐसे उपयोक्ता आनलाइन समुचित आवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर प्रपत्र 3(ख) में इलेक्ट्रानिक रूप से जनित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

(3) नियम 6 के उप नियम (3) और उप नियम (4) के अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने पर, कृषि और घरेलू भूगर्भ जल उपयोक्ता स्वतः रजिस्ट्रीकृत हो जायेंगे। ऐसे उपयोक्ता आनलाइन समुचित आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर प्रपत्र 3(ग) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।

(4) ऐसे उपयोक्तागण, जिनके रजिस्ट्रीकरण स्वीकृति के लिए आवेदन उप खंड (1) के अधीन अस्वीकृत कर दिए गये हों, आवेदन का निस्तारण करने के लिए प्राधिकरण के सचिव के माध्यम से राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने के संबंध में इस नियम के अधीन संबंधित जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति या नगरपालिका जल प्रबंधन समिति या खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति द्वारा किया गया कोई विनिश्चय, ऐसे आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर प्रयोक्ता को इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित किया जायेगा।

(6) उपयोक्तागण यथास्थिति जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद या नगरपालिका जल प्रबंधन समिति या खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति के कार्यालय से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं।

9-रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए रजिस्टर :-

(1) प्रपत्र 3(क) या 3(ख) में जारी किए गए प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए, आनलाइन वेब-पोर्टल www.upgwdonline.in में एक ई-रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को प्रपत्र 3(क) और 3(ख) में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रतियाँ भी अनुरक्षित करनी होगी।

(3) प्रत्येक नगरपालिका जल प्रबंधन समिति को प्रपत्र 3(ग) में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रतियों का एक पृथक रजिस्टर भी अनुरक्षित करना होगा।

(4) प्रत्येक खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबंधन समिति को प्रपत्र 3(ग) में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की संयुक्त हस्ताक्षरित प्रतियों का एक पृथक रजिस्टर भी अनुरक्षित करना होगा।

10-आवेदन फीसः-

(1) कोई वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता, कूप रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा विनिश्चत फीस की ऐसी धनराशि जमा करेगा जो नियम 6 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में उल्लिखित हो। राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण विभिन्न श्रेणी के भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के लिए फीस की धनराशि की समय-समय पर समीक्षा कर सकता है।

(2) नियम 6 के उप नियम (3) और उप नियम (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई फीस नहीं होगी।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन फीस का भुगतान आनलाइन किया जाएगा और उसे राज्य सरकार द्वारा सृजित भूगर्भ जल निधि में जमा किया जाएगा।

वेधन अभिकरणों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया

11-(1) फर्म, अभिकरण या कंपनी सहित कोई व्यक्ति, जो भूगर्भ जल निष्कर्षण के लिए बेधन कार्य करना चाहता हो प्रपत्र 5(क) में, अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को करेगा।

(2) फर्म, अभिकरण या कंपनी सहित कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व भूगर्भ जल निष्कर्षण के लिए बेधन कार्य में संलग्न हो, प्रपत्र 5(ख) में, अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट एक आवेदन, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर करेगा।

(3) नियम 11 के उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने पर यदि जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद यह विचार करती है कि आवेदन धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये है, तो वह अपनी बैठक में समाधान कर लेने के पश्चात् मामले को अनुमोदित करेगी और ऐसे वेधन अभिकरण को प्रपत्र 6(क) में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगी और यदि संबंधित जिला स्तरीय प्राधिकरण का उक्त मामले में समाधान नही होता है, तो वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने से अस्वीकृत कर देगा और तदनुसार ऐसे व्यक्ति को प्रपत्र 7(क) में सूचित करेगा।

(4) नियम 11 के उप नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त किये जाने पर, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद आवेदन प्राप्त करने के लिए एक माह के भीतर ऐसे वेधन अभिकरण को प्रपत्र 6(ख) में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगी।

(5) यदि फर्म, अभिकरण या कंपनी सहित कोई व्यक्ति, जो एक से अधिक जिलों में वेधन कार्य करना चाहता हो तो उससे प्रत्येक जिले के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

(6) यदि फर्म, अभिकरण या कंपनी सहित कोई व्यक्ति, जिसने पहले ही एक जिले में वेधन कार्य के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो और वह किसी अन्य जिले में रजिस्ट्रीकरण कराना चाहता हो तो उसे प्रपत्र 5(क) में एक आवेदन करना होगा। उसे प्रपत्र के साथ पहले ही प्राप्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति अपलोड करनी होगी।

(7) नियम 11 के उप नियम (6) के अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने पर, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद आवेदन प्राप्त करने के सात दिनों के भीतर ऐसे बेधन अभिकरण को प्रपत्र 6(ख) में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगी।

(8) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद यह भी सुनिश्चित करेगी कि उप नियम (3), उप नियम (4) और उप नियम (7) के अधीन रजिस्ट्रीकृत बेधन अभिकरण अधिसूचित क्षेत्र या भूगर्भ जल गुणवत्ता वाले संवेदनशील क्षेत्रों में वेधन कार्य निष्पादित नहीं करेगा।

(9) पंजीकृत ड्रिलिंग एजेन्सी के द्वारा प्रत्येक तीन माह में किये गए ड्रिलिंग कार्यो का विवरण ऑनलाइन वेब पोर्टल पर प्रेषित किया जाएगा।

(10) प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में इस नियम के अधीन सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा किए गए किसी विनिश्चय की सूचना उपयोक्ता को ऐसा आवेदन प्राप्त किए जाने के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

(11) उपयोक्तागण जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के कार्यालय से रजिस्ट्रीकरण की सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं।

(12) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा वधन अभिकरणों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पृथक-पृथक रजिस्टर रखे जाएंगे।

12-आवेदन फीस :-

(1) नियम 11 के उप नियम (1), उप नियम (2) या उप नियम (6) के अधीन कोई आवेदक, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा विनिश्चित फीस की राशि जमा करेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन फीस का भुगतान आनलाइन किया जाएगा और उसे राज्य सरकार द्वारा सृजित भूगर्भ जल निधि में जमा किया जाएगा।

अध्याय -चार

प्राधिकार/अनापत्ति की स्वीकृति

गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में उपयोक्ताओं के लिए प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया, समय सीमाएं, प्रारूप, फीस और अन्य उपबन्ध, निबंधन एवम् शर्तें

13-(1)कोई भावी या विद्यमान उपयोक्ता, जिसके पास केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण या भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो, नियम-6 के उपनियम (1) के अधीन प्रपत्र 8(क) में आवेदन जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद को प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वीकृति जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

(2)प्रपत्र 8(क) आनलाइन वेबपोर्टल www.upgwd.gov.in से निःशुल्क डाउनलोड किया जाएगा।

(3) ऐसे प्रपत्र जो सम्यक रूप से भरे न हो अथवा उनके साथ प्रपत्र 8 (क) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न न हो, अस्वीकृत किए जाने योग्य होंगे।

अनापत्ति प्रमाणपत्र के नवीकरण की प्रक्रिया

14-(1) कोई विद्यमान वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता, जो अधिसूचित या गैर-अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का निष्कर्षण करने या उपयोग करने के लिए कोई कूप खोद चुका हो और अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण या भूगर्भ जल विभाग द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाण पत्र धारित किया हो और भूगर्भ जल का निष्कर्षण करना जारी रखना चाहता हो, प्रपत्र 8(ख) में आवेदन करेगा।

(2) कोई उपयोक्ता, जिसके पास भूगर्भ का पूर्व से विद्यमान अधिकार हो, अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष के पश्चात् अथवा विद्यमान अनापत्ति प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, अनापत्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन का निस्तारण

15-(1) नियम 13 के अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने पर, यदि जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद यह विचार करती है कि आवेदन धारा 14 के अधीन प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वीकृति जारी करने के लिए है, तो वह प्रपत्र 8(ग) में प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपयोक्ता को प्रदान कर सकती है और यदि सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद का मामले के सम्बन्ध में समाधान नही होता है तो वह प्राधिकार/अनापत्ति प्रदान करने का प्रमाणपत्र जारी करने से अस्वीकार कर देगी और प्रपत्र 8(घ) में उपयोक्ता को तद्नुसार सूचित करेगी।

(2) उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन का निस्तारण जनपदीय परिषद द्वारा नियमानुसार 30 दिवस के अन्दर किया जायेगा। निर्धारित अवधि में आवेदन का निस्तारण न होने की दशा में अनापत्ति स्वतः निर्गत मानी जायेगी। यदि यह पाया जाता है कि निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों/प्राविधानों के विपरीत है, तो राज्य भूजल प्रबन्धन एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा दोषियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन जनपदीय भूजल प्रबन्धन परिषद द्वारा निर्गत प्राधिकार/अनापत्ति अनापत्ति की वैधता 5 वर्ष होगी। किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन होने अथवा क्षेत्र की भूजल स्थिति के अनुसार राज्य नियामक प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह निर्गत अनापत्ति को निरस्त कर दें अथवा ऐसे प्रतिबन्ध लगा सके, जो कि वह उचित पाए।

(4) नियम, 14 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद तकनीकी टिप्पणियों के लिए आवेदन, भूगर्भ जल विभाग को अग्रसारित करेगी।

जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद भूगर्भ जल विभाग की संस्तुति पर भूगर्भ जल विभाग द्वारा यथा संस्तुत अवधि के लिए प्रपत्र 8(ङ) में प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र को नवीकृत कर सकती है।

(5) ऐसे उपयोक्तागण जिनके आवेदन उप नियम (1) के अधीन प्राधिकार/अनापत्ति प्रदान किए जाने हेतु अस्वीकृत कर दिए गए हो, आदेश प्राप्त किए जाने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को अपील कर सकते हैं।

(6) प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान या अस्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में इस नियम के अधीन सम्बन्धित जिला भूगर्भ जल प्रबन्ध परिषद द्वारा किए गए किसी विनिश्चय की सूचना, ऐसे आवेदन के विनिश्चय की प्राप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर उपयोक्ता को सम्यक अभिस्वीकृति सहित रजिस्टर्ड डाक से तथा इलेक्ट्रानिक रूप से प्रदान की जाएगी :

परन्तु यह कि उपयोक्ता संबंधित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के कार्यालय से सीधे सूचना की प्रति प्राप्त कर सकता है।

प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए रजिस्टर

16-प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पृथक-पृथक रजिस्टर रखेगी।

प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन फीस और भूगर्भ जल निष्कर्षण/आहरण के लिए फीस

17-(1)नियम 13 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई नया कूप खोदने हेतु प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ता को ऐसी मात्रा में फीस जमा करनी होगी जैसा कि राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन तथा विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाय। राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण समय-समय पर विभिन्न श्रेणी के भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के लिए फीस की धनराशि की समीक्षा कर सकता है।

(2) नियम 13 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर प्राधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् अधिनियम की धारा 16 के अधीन यथा उपबंधित भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु फीस की वार्षिक धनराशि ऐसे उपयोक्ता द्वारा वार्षिक रूप में जमा की जाएगी। भूगर्भ जल निष्कर्षण के लिए फीस की धनराशि का अवधारण, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण समय-समय पर विभिन्न श्रेणी के भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के लिए निष्कर्षण की फीस की धनराशि की समीक्षा कर सकता है।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट फीस का भुगतान प्रपत्र 8 (क) में यथाविहित रीति से किया जाएगा और इसे भूगर्भ जल निधि में जमा किया जाएगा।

अध्याय -पांच

अधिसूचित क्षेत्रों की पहचान और उनका सीमांकन

अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचित क्षेत्रों के सीमांकन और अधिसूचना जारी किये जाने की प्रक्रिया

18-अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान और उनका सीमांकन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा।

(1) ग्रामीण क्षेत्र- अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों के सीमांकन के प्रयोजन से, अतिदोहित एवम् नाजुक खण्डों पर विचार किया जाएगा। अतएव, भूगर्भ जल विभाग, नवीनतम भूगर्भ जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अतिदोहित एवम् नाजुक खण्डों के रूप में वर्गीकृत किए गए खण्डों की जिलावार सूची की पहचान करेगा और तैयार करेगा।

(2) नगरीय क्षेत्र-नगरीय सेक्टर में, जैसा कि अधिनियम में उपबंधित किया गया है, ऐसे संकटग्रस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में जहां भूगर्भ जल स्तर नाजुक/खतरनाक स्तर तक गिर गया है, ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किये जाने के प्रयोजन से विचार किया जायेगा। भूगर्भ जल विभाग उन नगरीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और उन्हें संकटग्रस्त के रूप में चिन्हित करेगा, जहां पिछले पांच वर्षों के दौरान भूगर्भ जल स्तर में 20 सेमी प्रति वर्ष से अधिक की महत्वपूर्ण गिरावट अभिलिखित की गई है।

(3) भूगर्भ जल विभाग, उक्त क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को अतिदोहित एवं नाजुक खण्डों और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्रों की सूची प्रस्तुत करेगा, जैसा कि अधिनियम में उपबंधित किया गया है।

19-अधिसूचना जारी किया जाना-

(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को भूगर्भ जल ह्रास के विश्लेषण के आधार पर विभाग द्वारा पहचानकृत नवीनतम भूगर्भ जल संसाधन आंकलन के अनुसार वर्गीकृत अतिदोहित एवम् नाजुक खण्डों के सम्बन्ध में भूगर्भ जल विभाग द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक विचार विमर्श करना होगा।

(2) तत्पश्चात् प्राधिकरण राज्य सरकार को अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के क्रियान्वयन के प्रयोजन से ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचना द्वारा घोषित करने का परामर्श देगा। भूगर्भ जल विभाग की संस्तुति के आधार पर राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, राज्य सरकार को ऐसी सरकारी योजनाओं को बंद करने या पुनः अभिकल्पित करने के लिए भी परामर्श देगा, जो सीधे भूगर्भ जल निष्कर्षण पर निर्भर हैं।

(3) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्रो के रूप में घोषित करने के लिए राज्य प्राधिकरण की संस्तुति और उसके परामर्श पर सम्यक रूप से विचार करेगी।

(4) उप नियम (3) में निर्दिष्ट अधिसूचना समस्त संबंधित विभागों की वेबसाइटों पर अपलोड की जाएगी और उक्त क्षेत्र में दो व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी।

अध्याय -छः

वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोक्ताओं के लिए भूगर्भ जल के निष्कर्षण की सीमा नियत किया जाना

वणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के लिए भूगर्भ जल निष्कर्षण की सीमा नियत करने की प्रक्रिया

20-(1) समस्त विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के लिए भूगर्भ जल निष्कर्षण की सीमा नियत करने हेतु भूगर्भ जल विभाग, पणधारकों के परामर्श से, इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से छः माह के भीतर राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(2) भूगर्भ जल विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण समस्त वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के भूगर्भ जल निष्कर्षण की सीमायें नियत करेगा।

(3) उप नियम(2) के अधीन नियत भूगर्भ जल निष्कर्षण सीमाएं, धारा 15 के प्रयोजनार्थ यथास्थिति अधिसूचित और साथ ही साथ गैर अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के कूपों के लिए और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में नये वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के कूपों के लिए रजिस्ट्रीकरण या प्राधिकार प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण लिखी जाएगी।

अध्याय-सात

भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्रों का सीमांकन और उनकी घोषणा

भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्रों के सीमांकन और उनकी घोषणा की प्रक्रिया

21-भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र का सीमांकन-

(1) उत्तर प्रदेश के दोनों ग्रामीण और नगरीय प्रखण्डों में समस्या का सिंहावलोकन करने के प्रयोजन से, भूगर्भ जल गुणवत्ता सम्बन्धी आंकड़ा और तत्सम्बन्धी सूचना एकत्र करने, उसका मूल्यांकन और विश्लेषण करने के लिए भूगर्भ जल विभाग, विशेषज्ञ निकायों यथा केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम, केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान और उन संस्थाओं, जिन्होंने भूगर्भ जल गुणवत्ता के सम्बन्ध में विद्यमान आंकड़ा, रिपोर्ट तथा सूचना प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्र भूगर्भ जल गुणवत्ता सम्बन्धी अध्ययन कर लिए हों, के भी साथ प्राविधिक परामर्श करेगा।

(2) ऐसे उपलब्ध आंकड़ों के मूल्यांकन, विश्लेषण और मानचित्रण के आधार पर, भूगर्भ जल विभाग सम्पूर्ण राज्य के लिए एक व्यापक गुणवत्तापूर्ण आंकड़ा आधार तैयार करने और विकसित करने की कार्यवाही करेगा। इसके पश्चात् विभाग उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जो पेयजल और सिंचाई जल आपूर्ति पर प्रदूषण के खतरों के जोखिम के साथ घटिया भूगर्भ जल गुणवत्ता से प्रभावित पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों का सीमांकन और मानचित्रण भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्रों के रूप में किया जाएगा।

(3) विभाग ऐसे भूगर्भ जल गुणवत्ता वाले संवेदनशील परिक्षेत्रों की उनकी जी0पी0एस0 अवस्थितियों सहित विस्तृत जिलावार सूची तैयार करेगा।

(4) सम्पूर्ण राज्य के लिए भूगर्भ जल की गुणवत्ता की पूर्ण सूचना, प्रदूषण का रोकथाम तथा नियंत्रण करने और पेय जलापूर्तियों हेतु सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण क्षेत्रों का पता लगाने के समुचित उपायों के माध्यम से ऐसे रेखांकित क्षेत्रों में भूगर्भ जल गुणवत्ता का संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन तथा विनियामक प्राधिकरण को अग्रतर कार्यवाही के लिए प्रस्तुत की जायेगी।

(5) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण तत्काल कार्यवाही करेगा और संबंधित विभागों को ऐसे रेखांकित क्षेत्रों में भूगर्भ जल गुणवत्ता का संरक्षण सुनिश्चित करने की अपनी विद्यमान नीतियों या योजनाओं को परिवर्तित करने या पुनः अभिकल्पित करने के लिए निदेश जारी करेगा। समस्त सम्बन्धित विभागों को ऐसे रेखांकित परिक्षेत्रों में अपनी विद्यमान नीतियों या योजनाओं को परिवर्तित या अभिकल्पित करना होगा।

(6) उप नियम (5) में निदेश जारी करने के पश्चात् यदि जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद यह पाता है कि उस जिले में भूगर्भ जल के प्रदूषण के लिए किसी विभाग की कोई विशिष्ट योजना उत्तरदायी है, तो परिषद को ऐसे मामलों में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप तत्काल कार्यवाही करनी होगी और ऐसा कोई मामला राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को भी प्रस्तुत करना होगा।

भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी करना

22 (1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, राज्य की भूगर्भ जल गुणवत्ता के संबंध में भूगर्भ जल विभाग द्वारा उपबंधित सूचना पर आवश्यक प्राविधिक परामर्श करने के पश्चात्, अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचना द्वारा भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्रों के रूप में घोषित किये जाने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति करेगा तथा परामर्श देगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य में भूगर्भ जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्रों की घोषणा के लिए राज्य प्राधिकरण के परामर्श और उसकी संस्तुति पर सम्यक रूप से विचार करेगी और धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन दोनों हिंदी और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा में अधिसूचना जारी करेगी। उक्त अधिसूचना में अधिसूचित क्षेत्र के लिए राज्य सरकार के निदेश भी अन्तर्विष्ट होंगे।

(3) उक्त अधिसूचना, गजट में और तत्पश्चात् सार्वजनिक सूचना के रूप में सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश के माध्यम से कम से कम तीन दैनिक क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

(4) समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त, उक्त अधिसूचना व्यापक रूप में प्रसारित किये जाने के लिए समस्त संबंधित विभागों की वेबसाइटों पर भी अपलोड की जाएगी।

अध्याय-आठ

उपचारित अपशिष्ट जल के मानक नियत किये जाने की प्रक्रिया तथा उपचार संयंत्र संस्थापित किये जाने की प्रक्रिया

उपचारित अपशिष्ट जल के मानक नियत किये जाने की प्रक्रिया

23-(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के निदेश पर, भूगर्भ जल विभाग, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश जल निगम से परामर्श के पश्चात् उसे उपचारित अपशिष्ट के मानकों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव ऐसे समय के भीतर जैसा कि उक्त प्राधिकरण द्वारा निदेशित किया जाय, प्रस्तुत करेगा।

(2) भूगर्भ जल विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, उपचारित अपशिष्ट जल के मानकों को अनुमोदित करेगा।

(3) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, भूगर्भ जल उपयोक्ता को अनापत्ति प्रदान करते हुए अनुमोदित मानक के अनुपालन के लिए प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को निदेश जारी करेगा।

उपचार संयंत्र की संस्थापन की प्रक्रिया

24-(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषदों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल को प्रदूषित करने वाले समस्त वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक या सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं को इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उपचार संयंत्र संस्थापित करना होगा।

(2) प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, इस नियमावली के प्रारंभ होने के दिनांक से दो माह के भीतर अपने जिला के समस्त उद्योगों का भौतिक सत्यापन करेगी।

(3) भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, उन उद्योगों की एक सूची तैयार करेगी, जिन्होंने समुचित उपचार संयत्र निर्मित नहीं किया है।

(4) उप नियम (3) के अधीन तैयार किए गए प्रत्येक जिले की सूची, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, उप नियम (4) में निर्दिष्ट उद्योगों को निदेश देगा कि ऐसे उद्योगों, जिन्होंने समुचित उपचार संयंत्र संस्थापित नहीं किए हैं, को उक्त संयंत्र, निदेश जारी किए जाने के दिनांक से छः माह की अवधि के भीतर संस्थापित करना होगा।

(6) उप नियम (5) के अधीन निदेश जारी होने के छः माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को दो माह की अवधि में संबंधित जिलों में पुनः समस्त उद्योगों का भौतिक सत्यापन कराना होगा। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को पुनः ऐसे उद्योगों की एक सूची तैयार करनी होगी, जिन्होंने उप-नियम (5) के अधीन राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेशों का अनुपालन न किया हो।

(7) उप नियम (6) के अधीन तैयार की गयी प्रत्येक जिले की सूची पुनः राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

(8) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, ऐसे भूगर्भ जल उपयोक्ता के विरूद्ध कार्रवाई करेगा, जो अभी भी निम्नलिखित द्वारा उक्त अवधि के भीतर उपचार संयंत्र स्थापित करने में विफल हैं ;

(एक) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा चिन्हित अभिकरण के माध्यम से ऐसे उपयोक्ताओं की लागत पर आवश्यक उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए आदेश जारी करना ;

(दो) अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (2) के उपबंधो के अधीन अभियोजन प्रारम्भ करने का आदेश जारी करने के लिए संबंधित जिला की जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को निदेश देना।

अनुपचारित बहिःस्राव को भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल में निस्तारित करने की निर्बंधनों की प्रक्रिया

25-(1) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को समुचित प्राधिकरणों के माध्यम से यह अनुश्रवण करना होगा कि-

(क) कोई सरकारी विभाग/उपक्रम/निगम आदि भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल में अनुपचारित बहिःस्राव निस्सारित नही करेगा।

(ख) कोई अनुपचारित नाला या मलनाली आदि, सीधे नदियों/ तालाबों/झीलों या किसी भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल में निस्सारित नही किये जायेंगे।

(2) प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को इस नियमावली के प्रारंभ होने के दिनांक से दो माह के भीतर, उप नियम (1) के अधीन यथा उपबंधित ऐसे सरकारी निकायों द्वारा अंगीकृत बहिःस्राव निस्सारित किये जाने की प्रक्रिया का भौतिक सत्यापन करना होगा।

(3) भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को,उप-नियम (1) में निर्दिष्ट ऐसे सरकारी निकायों की एक सूची तैयार करनी होगी, जिन्होंने उपचारित बहिःस्राव की समुचित प्रक्रिया अगीकृत न किया हो और सीधे भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल में अनुपचारित बहिःस्राव निस्सारित कर रहे हों।

(4) उप नियम (3) के अधीन तैयार किए गए प्रत्येक जिला की सूची, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को उपनियम (4) में निर्दिष्ट सरकारी निकायों को ऐसे अनुदेश जारी करना होगा, ताकि निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जा सके:-

(क) उक्त अनुदेश जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर समुचित उपचार संयंत्रों का निर्माण किया जाना, या

(ख) उक्त अनुदेश जारी किये जाने के दिनांक से छः माह के भीतर विद्यमान उपचार संयंत्रों को क्रियाशील किया जाना।

(6) उप नियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को पुनः उन सरकारी विभागों/ उपक्रमों/निगमों/निकायों आदि का भौतिक सत्यापन दो माह के भीतर कराना होगा, जिन्होने अभी तक बहिःस्राव को उपचारित करने की समुचित प्रक्रिया को अंगीकृत न किये हों और अभी भी सीधे भूगर्भ जल या भू-पृष्ठ जल में अनुपचारित बहिःस्राव निस्सारित कर रहे हों।

(7) उपनियम (6) के अधीन राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परामर्श का अनुपालन न करने वाले सरकारी निकायों की सूची राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय - नौ

वर्षा जल संचयन

वर्षा जल संचयन के लिए उपबंध अधिरोपित किये जाने की प्रक्रिया

26-(1) समुचित प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रफल के भूखण्ड धारित करने वाले समस्त उपयोक्ताओं द्वारा समुचित रूप में कर लिया गया है। वर्षा जल संचयन संरचनाएं संस्थापित किया जाना एतद्धीन वर्णित चरणों में विभिन्न उपयोक्ताओं के लिए अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि:-

वर्षा जल संचयन संरचनाओं को संस्थापित किया जाना ऐसे प्रत्येक उपयोक्ता के लिए अनिवार्य होगा, जिसके पास अपने परिसरों में भूगर्भ जल के निष्कर्षण के लिए सबमर्सिबल पंप या कोई अन्य समान प्रकार के भूगर्भ जल निष्कर्षण उपकरण हो।

(2) प्रथम चरण में, प्रत्येक सरकारी विभाग/अर्द्ध-सरकारी विभाग/प्राधिकरण/ सहायता प्राप्त संस्थाओ/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से निधिकृत), निजी संस्थाओं या संगठनों, जिनके पास 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रफल का भूखंड हो या जो सबमर्सिबल पंप या समान प्रकार के उपकरणों के माध्यम से, भूगर्भ जल निष्कासित कर रहे हों, को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर वर्षा जल संचयन संरचनाएं समुचित रूप से उनके परिसरों में निर्मित कर दी गयी है।

(3) द्वितीय चरण में, (प्रथम चरण के एक वर्ष के पश्चात्), उप नियम (2) में उल्लिखित उपयोक्ता से भिन्न प्रत्येक उपयोक्ता, जिसके पास 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रफल का भूखंड हो या जो सबमर्सिबल पंपों या समान प्रकार के उपकरणों के माध्यम से भूगर्भ जल निष्कासित कर रहे हों, को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रथम चरण की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर, उनके परिसरों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं समुचित रूप में निर्मित कर दी गयी है।

(4) वर्षा जल संचयन संरचनाओं को संस्थापित किये जाने के पश्चात् प्रत्येक उपयोक्ता वेब पोर्टल www.upgwdonline.in पर आनलाइन सूचित करेगा।

(5) यदि उप नियम (2) और उप नियम (3) के अधीन उपयोक्ता ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे या सम्बन्धित निकाय को ऐसी रीति से और ऐसे दण्ड से दण्डित किया जायेगा जैसा कि राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाय।

(6) उप नियम (5), में निर्दिष्ट दण्ड के अतिरिक्त सबमर्सिबल पंप या किसी अन्य भूगर्भ जल निष्कर्षण उपकरण को नगरपालिका जल प्रबंधन समिति द्वारा तुरंत असंयोजित कर दिया जायेगा, सील कर दिया जाएगा और जब्त कर लिया जाएगा।

(7) रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की उपयुक्त डिजाइन एवं भूजल रिचार्ज की मात्रा राज्य भूजल प्रबन्धन एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित करायी जाएगी। ऐसे अभिकल्प आनलाइन भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

(8) भूगर्भ जल विभाग, सक्षम प्राविधिक व्यक्तियों की सूची भी परिचालित करेगा, जो समुचित वर्षा जल संचयन संरचनाएं संस्थापित किये जाने के लिए आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेंगे।

(9) समुचित प्राधिकरण, वर्षा जल संचयन तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। समुचित प्राधिकरण ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को भी आमंत्रित करेंगे।

(10) समुचित प्राधिकरण वर्षा जल संचयन के लिए विभिन्न उपयोक्ताओं को सवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता अभियान भी संचालित करेंगे।

(11) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि समस्त संबंधित संस्थाएं यथाः अखिल भारतीय तकनीकी संस्था परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या समान प्रकार के निकाय अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते समय अपने निर्माण सन्नियमों में समुचित वर्षा जल संचयन को संस्थापित किया जाना सम्मिलित करेंगे।

(12) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, जल संचयन कार्य के लिए अक्रियाशील कूपों को पुनरूज्जीवित करने के लिए सम्बन्धित क्रियान्वयनकर्ता विभाग को निदेश भी जारी करेगी।

(13) समुचित प्राधिकरण, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रो में जल संचयन अर्थात् हैंडपंपों आदि के अधिशेष जल आहरण का पुनः उपयोग करने के लिए समुचित कार्यवाही करने के निमित्त सम्बन्धित क्रियान्वयनकर्ता विभाग को निर्देश भी जारी करेंगे।

अध्याय-दस

अपराधों का प्रशमन

अपराधों के प्रशमन की प्रक्रिया

27-किसी अपराध के प्रशमन के लिए आवेदन इस नियमावली के परिशिष्ट (ख) में अनुलग्न प्रपत्र में किया जायेगा।

अध्याय - ग्यारह

शिकायत निवारण

शिकायत निवारण की प्रक्रिया

28-(1) कोई क्षुब्ध व्यक्ति, अधिनियम की धारा-43 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुद्दों पर वेब पोर्टल www.upgwdonline.in पर आनलाइन पर्याप्त औचित्य के साथ अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता/सकती है।

(2) जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी, यदि अपेक्षित हो शिकायत सम्बन्धी आवेदन प्राप्त किये जाने के तीस दिनों की अवधि के भीतर अपना शिकायत प्रस्तुत करने के लिए अभिकथित उपयोक्ता को नोटिस जारी कर सकता है।

(3) उक्त अभिकथित व्यक्ति नोटिस प्राप्त किये जाने के तीस दिनों की अवधि के भीतर जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा/करेगी।

(4) जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी अभिकथित प्रयोक्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के दिनांक से तीस दिन के भीतर शिकायत पर विनिश्चय करेगा और क्षुब्ध व्यक्ति को अपना विनिश्चय संसूचित करेगा।

(5) क्षुब्ध व्यक्ति, जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी का विनिश्चय प्राप्त करने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन तथा विनियामक प्राधिकरण को जिला भूगर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील कर सकता है।

अध्याय - बारह

प्रकीर्ण

अन्य उपबंध

29-(1)जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद ऐसी विद्यमान सरकारी योजनाओं की पहचान करेगी जो या तो अतिशय भूगर्भ जल आहरण को प्रोत्साहित करती हैं या जिनका उस क्षेत्र की जल गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(2) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को ऐसी योजनाओं का पुनरीक्षण करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

(3) राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, तत्काल कार्यवाही करेगा और संबंधित विभागों को अपनी विद्यमान नीतियों या योजनाओं को परिवर्तित करने या फिर से अभिकल्पित करने के लिए निदेश जारी करेगा। समस्त संबंधित विभागों को ऐसे रेखांकित परिक्षेत्रों में अपनी विद्यमान नीतियों या योजनाओं में परिवर्तन करना या उन्हें फिर से अभिकल्पित करना होगा।

30-इस नियमावली में उपबंधित न की गयी किसी बात को राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के समक्ष रखी जाएगी। ऐसे मामलों में विनिश्चय, अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप किये जायेंगे और तदनुसार संसूचित किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट-(ए)
(नियम-4 देखे)
(उपयुक्त प्राधिकारी के गैर-अधिकारियों की योग्यता)

क्र0स0	नियम-3 में संदर्भित सदस्य	योग्यता
1	ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समिति के सदस्य खण्ड (ई) की धारा-3 की उप-धारा (2) में संदर्भित है।	सम्बन्धित ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग के एक प्रतिनिधि तथा कृषि विभाग के एक प्रतिनिधि को नामित करेंगे।
2	खण्ड पंचायत भूगर्भ जल उप समिति के सदस्य खण्ड (ई) की धारा-4 की उप-धारा (2) में संदर्भित है।	सम्बन्धित जिले के जिला अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग के एक प्रतिनिधि तथा कृषि विभाग के एक प्रतिनिधि को नामित करेंगे।
3	1-नगरपालिका जल प्रबन्धन के दो सदस्यो को खण्ड-5 की उप-खण्ड (2) की उप-धारा (ग) में निर्दिष्ट है।	जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश राज्य में जल संसाधनों के क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले दो सदस्यों को नामित करेगा।
	2-नगर जल प्रबंधन समिति के दो सदस्यों ने खंड -5 के उप-खंड (2) के उपखंड (घ) में संदर्भित किया।	जिला मजिस्ट्रेट, निवासी कल्याण संघों/सामाजिक समूहों के दो सदस्यों को नामित करेंगे।
	3-नगर जल प्रबंधन समिति के तीन सदस्यों ने खंड-5 के उप-खंड (2) के उपखंड (ई) में संदर्भित किया।	संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट, भूगर्भ जल विभाग के एक प्रतिनिधि, लघु सिंचाई विभाग के एक प्रतिनिधि और कृषि विभाग के एक प्रतिनिधि को नामित करेंगे।
4	1- जिला भूजल प्रबंधन परिषद के सदस्य के रूप में एक विषय विशेषज्ञ का खंड-6 के उप-खंड (2) के धारा (सी) में उल्लेख किया गया है।	जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश राज्य में भूजल प्रबंधन में न्यूनतम दस साल के अनुभव के साथ-साथ सिविल विज्ञान/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक या पृथ्वी विज्ञान में स्नातकोत्तर विषय वाले एक विषय विशेषज्ञ को नामित करेगा।
	2- एक सदस्य ने खंड-6 के उप खंड (2) के धारा (डी) में संदर्भित किया गया है।	जिला मजिस्ट्रेट, सार्वजनिक/ गैर-सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को नामित करेगा।
5	1- राज्य भूजल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के सदस्य के रूप में तीन विषय विशेषज्ञ धारा -7 के उप-खंड (2) के क्रम संख्या 16 में निर्दिष्ट हैं।	राज्य सरकार तीन विषय विशेषज्ञों को नामांकित करेगी, - 1- एक पर्यावरण विशेषज्ञ, जिसे पृथ्वी विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान में परास्नातक डिग्री के साथ-साथ भूजल प्रबंधन या प्रदूषण नियंत्रण में न्यूनतम पंद्रह वर्षों का अनुभव हो। 2- एक भूजल रसायनज्ञ, जिसे रसायन विज्ञान में परास्नातक डिग्री के साथ-साथ भूजल की गुणवत्ता के परीक्षण, विश्लेषण और व्याख्या के क्षेत्र में न्यूनतम पंद्रह वर्षों का अनुभव हो 3- एक भूगर्भ जल विशेषज्ञ, जिसे पृथ्वी विज्ञान में मास्टर्स डिग्री या सिविल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री के साथ-साथ भूजल अन्वेषण और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जल विज्ञान स्थितियों से संबंधित प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम पंद्रह वर्षों का अनुभव हो।
	2- सार्वजनिक/गैर-सरकारी संगठन/ सामाजिक क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका धारा-7 के उप खंड (2) के क्रम संख्या 17 में उल्लेख किया है।	राज्य सरकार सार्वजनिक/गैर-सरकारी संगठन/ सामाजिक क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को नामांकित करेगी।

परिशिष्ट-(बी)

(नियम-27 देखे)

(अपराध के निराकरण के लिए आवेदन का प्रारूप)

क्र0सं0	विवरण	अभ्युक्ति
1	आवेदक का नाम	
2	अपराध *	
3	प्रकरण की स्थिति (अर्थात विचारणीय/न्यायालय में लम्बित/दोषी/बरी हो चुका है।)	
4	प्रशमन हेतु औचित्य के साथ अपराधों का विवरण (अलग शीट)	
5	क्या आवेदक ने जुर्माने से संबंधित दंड की राशि और किसी अन्य राशि का भुगतान किया है?	
6	क्या आवेदक प्रशमन शुल्क का भुगतान करता है जैसा कि प्रशमन अधिकारी द्वारा सूचित किया जाएगा?	
7	क्या आवेदक के मामले में पहले भी समान अपराध दर्ज किए गए हैं। यदि हाँ, तो कितनी बार?	
8	क्या धारा 41 में उल्लिखित पहले अपराध की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन है?	
9	क्या आवेदक को दंडित किए जाने के लिए किए गए अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था?	

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं यहां यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर प्रस्तुत किए गए ब्योरे सही और सत्य हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी सूचना और विवरण को किसी भी स्तर पर जांच और जांच में गलत पाया गया है या उसके बाद, मेरा आवेदन अस्वीकार या रद्द करने के लिए उत्तरदायी है ।

मैं सहमत हूँ ☐

नोट :-

1. हर अपराध के लिए अलग आवेदन पत्र भरा जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विशेष/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
   (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
   (ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकापी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
   (ग) आवेदक द्वारा किए गए अपराध के खिलाफ जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा जारी नोटिस।
5. कंपाउंडिंग ऑफिसर को मामले की योग्यता का परीक्षण करने के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित है।

मैं सहमत हूँ ☐

स्थानः-
दिनांकः-

हस्ताक्षर.....
वर्तमान पता.....
.....

* अपराध जिसके लिए कंपाउंडिंग की मांग की जाती है।

फार्म-1(ए)

{नियम-6(1)देखें}

(वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोगकर्ता)

श्री/श्रीमती :

बुक सं0- आवेदन पत्र क्रम सं0 :-

मौजूदा कुएं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

(यू/एस १० (१) या ११ (१) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, २०१६)

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0 /तह सं0

3. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(4) छलनी की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले में:

(1) डग वेल (मी0) का व्यास :

(2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।

हाँ	नही

4. मौजूदा / प्रस्तावित पंपिंग डिवाइस के विवरणः

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप क्षमता ($एम^3$/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) ऑपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

5. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य :
(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) वार्षिक चलने का समय :

(ग) दैनिक चलने का समय :

(घ) क्या क्षेत्र को पाइप के माध्यम से पानी की आपूर्ति प्राप्त होती है :
हाँ/नही (कृपया एक टिक करें)

6. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें(उद्योगों के लिए) :
यदि, (क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :
(बी) हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)
यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।
नोटः यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

8. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :

(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान -

(1) रुपये :

(2) बाउचर सं0 :

(3) दिनांक :

(ख) ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी / P.S.U. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है -

(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -

9. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूं कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

नोट :

1. प्रत्येक व्यक्ति के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
   (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
   (ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोक,पी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
   (ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए),(बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ ☐

फार्म-1(बी)

{नियम-6(2)देखें}

(केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण या भूगर्भ जल विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. वाले वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोगकर्ता)

श्री/श्रीमती :

बुक सं0- आवेदन पत्र क्रंम सं0 :-

<u>मौजूदा कुएं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र</u>

(यू/एस १० (१) या ११ (१) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, २०१६)

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लाट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0 /तह सं0

3. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(4) छलनी की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले मेंः

(1) डग वेल (मी0) का व्यास :

(2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।

हाँ	नही

4. मौजूदा / प्रस्तावित पंपिंग डिवाइस के विवरणः

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) क,लम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप क्षमता ($एम^3$/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) ऑपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

5. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य :
(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/थोक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) वार्षिक चलने का समय :

(ग) दैनिक चलने का समय :

(घ) क्या क्षेत्र को पाइप के माध्यम से पानी की आपूर्ति प्राप्त होती है :
हाँ/नही (कृपया एक टिक करें)

6. कृपया केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण या भूगर्भ जल विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. का विवरण प्रस्तुत करें।
N.O.C. द्वारा जारी (कृपया एक टिक करें)

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ☐

भूगर्भ जल विभाग द्वारा ☐

एन0ओ0सी0 निर्गत करने का दिनांक -

एन0ओ0सी0 समाप्त होने का दिनांक -

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

8. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें(उद्योगों के लिए) :
यदि, (क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :
(बी) हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)
यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।

नोटः यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

9. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :
(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान -
(1) रुपये :
(2) बाउचर सं0 :
(3) दिनांक :
(ख) ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी / P.S.U. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है -
(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -

10. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूं कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

नोट :

1. प्रत्येक कूओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
(क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
(ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकापी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
(ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए), (बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है
मैं सहमत हूँ ☐

फार्म-1(सी)

{नियम-6(3)देखें}

(भूगर्भ जल का घरेलू या कृषि उपयोगकर्ता)

श्री/श्रीमती :

बुक सं0- आवेदन पत्र क्रम सं0 :-

मौजूदा कुएं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

(यू/एस १० (१) या ११ (१) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, २०१६)

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लाट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0 /तह सं0

3. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(4) छलनी की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले में:

(1) डग वेल (मी0) का व्यास :

(2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।

हाँ	नही

4. मौजूदा / प्रस्तावित पंपिंग डिवाइस के विवरणः

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप क्षमता (एम^3/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) ऑपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर /डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

5. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य : (सिंचाई/घरेलू/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) पारम्परिक प्रतिभूवी क्षेत्र हे0 में (सिंचाई कुओं के लिये) :

(ग) पारम्परागत साझेदार क्षेत्र स्वामी ऊपर प्रदर्शित 5(ख) के अनुसार :

(घ) उपरोक्त 5 (बी) में इंगित क्षेत्र में, विभिन्न फसल मौसमों में कुएं द्वारा सिंचित क्षेत्र

(1) खरीफ- हे0

(2) रबी- हे0

(3) जायद- हे0

(ङ) कुल वार्षिक चलने का समय (सिंचाई के मामले में) :

(च) घरेलू उपयोग के मामले में दैनिक चलने का समय :

6. क्या आवासीय परिसर का भूखंड का आकार 300 वर्ग मीटर से अधिक है? (केवल घरेलू उपयोगकर्ता के लिए) : हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

8. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूं कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
   (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
   (ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकापी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
   (ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए), (बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ ☐

फार्म-1(डी)

{नियम-6(4)देखें}

(घरेलू या कृषि उपयोग के लिये भूगर्भ जल के भावी उपयोगकर्ता)

श्री/श्रीमती :

बुक सं0- आवेदन पत्र क्रंम सं0 :-

प्रस्तावित कुएं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

(यू/एस १० (१) या ११ (१) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, २०१६)

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. प्रस्तावित कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0 /तह सं0

3. प्रस्तावित कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(4) छलनी की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले में:

(1) डग वेल (मी0) का व्यास :

(2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।

हाँ	नही

4. प्रस्तावित पंपिंग डिवाइस के विवरणः

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कालम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप क्षमता ($एम^3$/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) आपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

5. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य : (सिंचाई/घरेलू/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) पारम्परिक प्रतिभूवी क्षेत्र हे0 में (सिंचाई कुओं के लिये) :

(ग) पारम्परागत साझेदार क्षेत्र स्वामी ऊपर प्रदर्शित 5(ख) के अनुसार :

(घ) उपरोक्त 5 (बी) में इंगित क्षेत्र में, विभिन्न फसल मौसमों में कुएं द्वारा सिंचित क्षेत्र

(1) खरीफ- हे0

(2) रबी- हे0

(3) जायद- हे0

(ङ) कुल वार्षिक चलने का समय (सिंचाई के मामले में) :

(च) घरेलू उपयोग के मामले में दैनिक चलने का समय :

6. क्या आवासीय परिसर का भूखंड का आकार 300 वर्ग मीटर से अधिक है? (केवल घरेलू उपयोगकर्ता के लिए) : हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है

हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

8. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूं कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
   (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
   (ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकापी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
   (ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए), (बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ ☐

फार्म-2(ए)

{नियम-7(1)देखें}

(अधिसूचित क्षेत्र में वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोगकर्ता के पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन)

श्री/श्रीमती :

बुक सं0- आवेदन पत्र क्रंम सं0 :-

पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र

(यू/एस १० (१) या ११ (१) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, २०१९)

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. मौजूदा कुओं के पंजीकरण का विवरण :

(अ) पंजीकरण संख्या -

(ब) पंजीकरण का दिनांक-

3. पंजीकृत मौजुदा कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0 /तह सं0

4. पंजीकृत मौजूदा कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(4) छलनी की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले मेंः

(1) डग वेल (मी0) का व्यास :

(2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।

हाँ	नही

5. मौजूदा पंपिंग डिवाइस के विवरणः

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप क्षमता ($एम^3$/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) आपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

6. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य :
(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) कुल वार्षिक चलने का समय :

(ग) दैनिक चलने का समय :

(घ) क्या क्षेत्र को पाइप्ड जलापूर्ति के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त होती है : हाँ/नहीं (कृपया एक टिक करें)

7. पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन का विवरण :

8. पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन का कारण :

9. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है :
हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

10. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें(उद्योगों के लिए) :
यदि, (क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :
(बी) हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)
यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।

नोटः यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

11. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :
(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान -
(1) रुपये :
(2) बाउचर सं0 :
(3) दिनांक :
(ख) ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी / P.S.U. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है -
(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -

12. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूं कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है।

मैं सहमत हूँ ☐

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
(क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
(ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकापी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
(ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए), (बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ ☐

फार्म-2(बी)

{नियम-7(2)देखें}

(गैर-अधिसूचित क्षेत्र में औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता के पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन)

श्री/श्रीमती :

बुक सं0- आवेदन पत्र क्रंम सं0 :-

पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र

(यू/एस १० (१) या ११ (१) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, २०१६)

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. मौजूदा कुओं के पंजीकरण का विवरण :

(अ) पंजीकरण संख्या -

(ब) पंजीकरण का दिनांक-

3. पंजीकृत मौजुदा कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0 /तह सं0

4. पंजीकृत मौजूदा कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(4) छलनी की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले मेंः

(1) डग वेल (मी0) का व्यास :

(2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।

हाँ	नही

5. मौजूदा पंपिंग डिवाइस के विवरणः

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप क्षमता (एम^3/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) ऑपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

6. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य :
(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) कुल वार्षिक चलने का समय :

(ग) दैनिक चलने का समय :

(घ) क्या क्षेत्र को पाइप्ड जलापूर्ति के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त होती हैरू हाँ/नहीं (कृपया एक टिक करें)

7. पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन का विवरण :

8. पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन का कारण :

9. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

10. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें(उद्योगों के लिए) :
यदि, (क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :
(बी) हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)
यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।

नोटः यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

11. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :
(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान -
(1) रुपये :
(2) बाउचर सं0 :
(3) दिनांक :
(ख) ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी / P.S.U. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है -
(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -

12. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूं कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
(क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
(ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
(ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए), (बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है
मैं सहमत हूँ ☐

फार्म-3(ए)

(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता)

{नियम-8(1)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

मौजूदा/नये कुओं के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

(यू/एस १० (१) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, २०१६)

पंजीकरण सं0.....

1. (क) आवेदक का नाम : श्री/श्रीमती.....
   (ख) पिता का नाम : .....
   (ग) आवेदक का पता : .....
   (घ) आवेदन पत्र का क्रमांक तथा जमा करने की तिथि : .....
   (ङ) हस्ताक्षर नमूना : .....

2. स्थान का विवरण :
   (क) जिला :
   (ख) विकास खण्ड :
   (ग) प्लाट संख्या :
   (घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0 /तह सं0

3. मौजूदा कुऐं एवं पम्पिंग डिवाइस का विवरण :
   (क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :
   (ख) कुएँ का प्रकार :
   (ग) कुएँ की गहराई (मी0) :
   (घ) कुएँ का उद्देश्य :
   (च) निर्माण आकार (नलकूप के लिये)
   (छ) छलनी की स्थिति (नलकूप के लिये)
   (ज) व्यास (ड्गवेल के लिये)
   (झ) उपयोग में लाये जा रहे पम्प का प्रकार :
   (ट) पम्प का एच0पी0 :
   (ठ) संचालन उपकरण :
   (ड) निकालने की दर ($मी^3$/घण्टे)
   (ढ) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

पंजीकरण का यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, जो ओवरलीफ शर्तों के अनुसार है।

स्थान :

दिनांक :

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर
और पदनाम

शर्तें :-

(1) निकाले गए भूजल की मात्रा को मापने और रिकार्ड करने के उद्देश्य से, प्रत्येक उपयोगकर्ता ने पानी के मीटर की पुष्टि की होगी, जो पंपिंग उपकरणों के आउटलेट पर दर और निष्कर्षण की मात्रा रिकार्ड करता है, और यह माना जाएगा कि मीटर द्वारा दर्ज की गई मात्रा जब तक विपरीत साबित न हो जाए, उक्त उपयोगकर्ता द्वारा निकाला गया है। आइटम 3 (क) में दिखाए गए कुएं से भूजल के निष्कर्षण की दर पानी के मीटर से दर्ज की गई दर से अधिक नहीं होगी।

(2) जिला भूजल प्रबंधन परिषद, अगर स्थिति की मांग है, तो गुणवत्ता के खतरों या किसी अन्य कारणों से कुओं से भूजल के निकासी को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।

(3) मौजूदा कुओं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में, नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

(4) इस प्रमाणपत्र के क्रमांक (2) और (3) में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के संबंध में स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पंपिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन इस पंजीकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।

(5) यदि इस पंजीकरण को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विवरण/सूचना को बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है, तो यह पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

(6) पीजोमीटर का निर्माण और टेलीमेट्री के साथ डिजिटल जल स्तर रिकार्डर की स्थापना उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगी। पीजोमीटर की गहराई और जोन का दोहन पंपिंग कुओं के साथ किया जाना चाहिए। डिजिटल जल स्तर रिकार्डर से प्राप्त डेटा, मासिक आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) <u>पीजोमीटर की स्थापना और उनकी निगरानी के लिए दिशा निर्देश :-</u>

पीजोमीटर एक बोरवेल/ट्यूबवेल है जिसका उपयोग केवल टेप/साउंडर या स्वचालित जल स्तर मापने वाले उपकरण को कम करके पानी के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। जब भी जरूरत हो पानी के गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पीजोमीटर की स्थापना के लिए सामान्य दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं :

- पंपिंग कुएं से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर पीजोमीटर स्थापित /निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से भूजल निकाला जा रहा है। पीजोमीटर का व्यास लगभग 4" से 6" होना चाहिए।
- पीजोमीटर की गहराई समान होनी चाहिए क्योंकि पंपिंग कुएं के मामले में जहां से भूजल का सार हो रहा है। यदि, एक से अधिक पीजोमीटर स्थापित हैं, तो दूसरे पीजोमीटर को उथले भूजल की निगरानी करनी चाहिए। यह उथले के साथ-साथ गहरे भूजल जलभरण निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।
- मापने की आवृत्ति मासिक होनी चाहिए और माप की सटीकता सेमी तक होनी चाहिए। सूचित माप दो दशमलव तक मीटर में दिया जाना चाहिए।
- जल स्तर साउंडर या स्वचालित जल स्तर रिकार्डर (AWLR)/डिजिटल स्वचालित जल स्तर रिकार्डर (वॅस्ट) की माप के लिए टेलीमेट्री सिस्टम का उपयोग सटीकता के लिए किया जाना चाहिए।
- पीजोमीटर में जल स्तर का माप लिया जाना चाहिए, इसके बाद ही आसपास के नलकूपों से पंपिंग लगभग चार से छह घंटे के लिए रोक दी गई है।
- निर्देशांक, कम स्तर (मतलब स्तर के संबंध में), गहराई, जोन टेप और असेंबली कम के बारे में सभी विवरण पाईजोमीटर को भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, और इसके सत्यापन के लिए हाइड्रोग्राफ मानिटरिंग सिस्टम में लाने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

- प्री-मानसून (मई/जून) और पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवंबर) अवधि के दौरान भूजल की गुणवत्ता को एक वर्ष में दो बार मॉनिटर करना पड़ता है। एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से गुणवत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा, एक नमूना (1 लीटर क्षमता की बोतल) संबंधित निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश को रासायनिक विश्लेषण के लिए।
- स्थान, पाईजोमीटर/ट्यूबवेल नंबर, मानक संदर्भ और पहचान के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल की गहराई और जोन टैप किए जाने के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल साइट पर एक स्थायी डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।
- माप के लिए सुरक्षा और पहुंच के संबंध में किसी अन्य साइट की विशिष्ट आवश्यकता का ध्यान रखा जा सकता है।

(8) जिला भूजल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है।

कार्यालय की मोहर

फार्म-3(बी)

(केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा या भूजल विभाग द्वारा जारी N.O.C. वाले
औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता)

{नियम-8(2)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

मौजूदा/नये कुओं के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

(यू/एस 10(1) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

पंजीकरण सं0.....

4. (क) आवेदक का नाम : श्री/श्रीमती.....
   (ख) पिता का नाम : .....
   (ग) आवेदक का पता : .....
   (घ) आवेदन पत्र का क्रमांक तथा जमा करने की तिथि : .....
   (ङ) हस्ताक्षर नमूना : .....
5. स्थान का विवरण :
   (क) जिला :
   (ख) विकास खण्ड :
   (ग) प्लाट संख्या :
   (घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0 /तह सं0
6. मौजूदा कुएं एवं पम्पिंग डिवाइस का विवरण :
   (क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :
   (ख) कुएं का प्रकार :
   (ग) कुएं की गहराई (मी0) :
   (घ) कुएं का उद्देश्य :
   (च) निर्माण आकार (नलकूप के लिये)
   (छ) छलनी की स्थिति (नलकूप के लिये)
   (ज) व्यास (डग वेल के लिये)
   (झ) उपयोग में लाये जा रहे पम्प का प्रकार :
   (ट) पम्प का एच0पी0 :
   (ठ) संचालन उपकरण :
   (ड) निकालने की दर ($मी^3$/घण्टे)
   (ढ) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

पंजीकरण का यह प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, जो ओवरलीफ शर्तों के अनुसार है।

स्थान :

दिनांक :

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर
और पदनाम

शर्तें :-

(1) निकाले गए भूजल की मात्रा को मापने और रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से, प्रत्येक उपयोगकर्ता ने पानी के मीटर की पुष्टि की होगी, जो पम्पिंग उपकरणों के आउटलेट पर दर और निष्कर्षण की मात्रा रिकॉर्ड करता है और यह माना जाएगा कि मीटर द्वारा दर्ज की गई मात्रा जब तक विपरीत साबित न हो जाए, उक्त उपयोगकर्ता द्वारा निकाला गया है। आइटम 3 (क) में दिखाए गए कुएं से भूजल के निष्कर्षण की दर पानी के मीटर से दर्ज की गई दर से अधिक नहीं होगी।

(2) जिला भूजल प्रबंधन परिषद, अगर स्थिति की मांग है, तो गुणवत्ता के खतरों या किसी अन्य कारणों से कुओं से भूजल के निकासी को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।

(3) मौजूदा कुओं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में, नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

(4) इस प्रमाणपत्र के क्रमांक (2) और (3) में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के सम्बन्ध में स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पम्पिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में कोई भी विचलन इस पंजीकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।

(5) यदि इस पंजीकरण को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विवरण/सूचना को बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है, तो यह पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

(6) पीजोमीटर का निर्माण और टेलीमेट्री के साथ डिजिटल जल स्तर रिकार्डर की स्थापना उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगी। पीजोमीटर की गहराई और जोन का दोहन पम्पिंग कुओं के साथ किया जाना चाहिए। डिजिटल जल स्तर रिकार्डर से प्राप्त डेटा, मासिक आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) <u>पीजोमीटर की स्थापना और उनकी निगरानी के लिए दिशा निर्देश :-</u>

पीजोमीटर एक बोरवेल/ट्यूबवेल है जिसका उपयोग केवल टेप/साउंडर या स्वचालित जल स्तर मापने वाले उपकरण को कम करके पानी के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। जब भी जरूरत हो पानी के गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पीजोमीटर की स्थापना के लिए सामान्य दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :

- पंम्पिंग कुएं से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर पीजोमीटर स्थापित/निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से भूजल निकाला जा रहा है। पीजोमीटर का व्यास लगभग 4'' से 6'' होना चाहिए।
- पीजोमीटर की गहराई समान होनी चाहिए क्योंकि पम्पिंग कुएं के मामले में जहां से भूजल का सार हो रहा है। यदि, एक से अधिक पीजोमीटर स्थापित हैं, तो दूसरे पीजोमीटर को उथले भूजल की निगरानी करनी चाहिए। यह उथले के साथ-साथ गहरे भूजल जलभरण निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।
- मापने की आवृत्ति मासिक होनी चाहिए और माप की सटीकता सेमी तक होनी चाहिए। सूचित माप दो दशमलव तक मीटर में दिया जाना चाहिए।
- जल स्तर साउंडर या स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर (AWLR)/डिजिटल स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर (DWLR) की माप के लिए टेलीमेट्री सिस्टम का उपयोग सटीकता के लिए किया जाना चाहिए।
- पीजोमीटर में जल स्तर का माप लिया जाना चाहिए, इसके बाद ही आसपास के नलकूपों से पम्पिंग लगभग चार से छह घंटे के लिए रोक दी गई है।
- निर्देशांक, कम स्तर (मतलब स्तर के सम्बन्ध में), गहराई, जोन टेप और असेम्बली कम के बारे में सभी विवरण पाईजोमीटर को भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, और इसके सत्यापन के लिए हाइड्रोग्राफ मॉनिटरिंग सिस्टम में लाने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

- प्री-मानसून (मई/जून) और पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवंबर) अवधि के दौरान भूजल की गुणवत्ता को एक वर्ष में दो बार मॉनिटर करना पड़ता है। एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से गुणवत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा, एक नमूना (1 लीटर क्षमता की बोतल) सम्बन्धित निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश को रासायनिक विश्लेषण के लिए।
- स्थान, पाईजोमीटर/ट्यूबवेल नंबर, मानक संदर्भ और पहचान के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल की गहराई और जोन टैप किए जाने के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल साइट पर एक स्थायी डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।
- माप के लिए सुरक्षा और पहुंच के सम्बन्ध में किसी अन्य साइट की विशिष्ट आवश्यकता का ध्यान रखा जा सकता है।

(8) जिला भूजल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है।

कार्यालय की मोहर

फार्म-3(बी)

(घरेलू एवं कृषि उपयोगकर्ता)

{नियम-8(3), नियम-8(4), देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

मौजूदा/नये कुओं के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

(यू/एस 10 (1) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

पंजीकरण सं0.....

7. (क) आवेदक का नाम : श्री/श्रीमती.....
   (ख) पिता का नाम : .....
   (ग) आवेदक का पता : .....
   (घ) आवेदन पत्र का क्रमांक तथा जमा करने की तिथि : .....
   (ङ) हस्ताक्षर नमूना : .....
8. स्थान का विवरण :
   (क) जिला :
   (ख) विकास खण्ड :
   (ग) प्लाट संख्या :
   (घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0 /तह सं0

9. मौजूदा कुएं एवं पम्पिंग डिवाइस का विवरण :
   (क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :
   (ख) कुएं का प्रकार :
   (ग) कुएं की गहराई (मी0) :
   (घ) कुएं का उद्देश्य :
   (च) निर्माण आकार (नलकूप के लिये)
   (छ) छलनी की स्थिति (नलकूप के लिये)
   (ज) व्यास (डगवेल के लिये)
   (झ) उपयोग में लाये जा रहे पम्प का प्रकार :
   (ट) पम्प का एच0पी0 :
   (ठ) संचालन उपकरण :
   (ड) निकालने की दर ($मी^3$/घण्टे)
   (ढ) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

पंजीकरण का यह प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, जो ओवरलीफ शर्तों के अनुसार है।

स्थान :

दिनांक :

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर
और पदनाम

शर्तें :-

(1) जिला भूजल प्रबंधन परिषद, अगर स्थिति की मांग है, तो गुणवत्ता के खतरों या किसी अन्य कारणों से कुओं से भूजल के निकासी को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।

(2) मौजूदा कुओं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में, नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

(3) इस प्रमाणपत्र के क्रमांक (2) और (3) में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के सम्बन्ध में स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पम्पिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में कोई भी विचलन इस पंजीकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।

(4) यदि इस पंजीकरण को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विवरण/सूचना को बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है, तो यह पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

(5) जिला भूजल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है।

कार्यालय की मोहर

फार्म-4(ए)

{नियम-8(2), देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

कुएँ के पंजीकरण हेतु आवेदन के अस्वीकृति-पत्र

(यू/एस 10(1) उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

संख्या : दिनांक :

सेवा में,

श्री/श्रीमती.....

विषय : कुएं के पंजीकरण के अनुदान के लिए आपके आवेदन की अस्वीकृति।

संदर्भ : आपका आवेदन संख्या : जमा करने का दिनांक :

महोदय/महोदया,

आपको सूचित करना है कि आपका आवेदन संख्या.....दिनांक..... जो कुएं के पंजीकरण के अनुदान के लिए प्रेषित किया गया है, निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जाता है :

(1) अपूर्ण आवेदन।

(2) अपेक्षित दस्तावेजों को जमा नहीं करना।

(3) अपेक्षित आवेदन-शुल्क के भुगतान में कमी।

(4) आवेदन-शुल्क गलत मद में जमा करने के कारण।

(5) अन्य।

आपका आभारी,

जारी करने वाले प्राधिकारी का

हस्ताक्षर

फार्म-8(ए)

{नियम-13(1)देखें}

श्री/श्रीमती को जारी किया गया :

बुक सं0- आवेदन पत्र क्रम सं0 :-

किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता द्वारा नये नलकूप के निर्माण हेतु प्रधिकृत/अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र

(यू/एस 14 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. प्रस्तावित कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0 /तह सं0

3. पंजीकृत मौजूदा कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(4) छलनी की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले में:

(1) डग वेल (मी0) का व्यास :

(2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।

हाँ	नही

4. मौजूदा पंपिंग डिवाइस के विवरणः

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप क्षमता ($एम^3$/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) ऑपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

5. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य :
(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) कुल वार्षिक चलने का समय :

(ग) दैनिक चलने का समय :

(घ) क्या क्षेत्र को पाइप्ड जलापूर्ति के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त होती है। हाँ/नहीं (कृपया एक टिक करें)

6. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें(उद्योगों के लिए) :

यदि, (क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :

(बी) हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।

नोटः यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है

हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

8. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :

(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान -

(1) रुपये :

(2) बाउचर सं0 :

(3) दिनांक :

(ख) ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी / P.S.U. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है -

(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -

9. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूं कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि नये कुओं के प्रधिकृत/अनापत्ति प्रमाण के आवेदन हेतु किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये (N.A.) लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

(क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।

(ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।

(ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए), (बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।

7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ ☐

फार्म-8(बी)

{नियम-14(1)देखें}

श्री/श्रीमती :

बुक सं0- आवेदन पत्र क्रम सं0 :-

गैर-अधिसूचित क्षेत्र हेतु किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता द्वारा कुओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र

(यू/एस 14 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. प्रस्तावित कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0 /तह सं0

3. पंजीकृत मौजूदा कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएँ का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(1) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(2) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(3) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(4) छलनी की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले मेंः

(1) डग वेल (मी0) का व्यास :

(2) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा / पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि 'हाँ', तो विवरण दें।

हाँ	नही

4. मौजूदा पंपिंग डिवाइस के विवरणः

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप क्षमता ($एम^3$/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) ऑपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चालित पंप के मामले में) :

5. कुएँ की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य :

(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) कुल वार्षिक चलने का समय :

(ग) दैनिक चलने का समय :

(घ) क्या क्षेत्र को पाइप्ड जलापूर्ति के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त होती हैः हाँ/नहीं (कृपया एक टिक करें)

6. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें (उद्योगों के लिए) :

यदि, (क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :

(बी) हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।

नोटः यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है

हाँ /नहीं (कृपया टिक करें)

8. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :

(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान -

(1) रुपये :

(2) बाउचर सं0 :

(3) दिनांक :

(ख) ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी / P.S.U. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है -

(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -

9. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूं कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि नये कुओं के प्रधिकृत/अनापत्ति प्रमाण के आवेदन हेतु किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

(क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।

(ख) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकापी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।

(ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें आइटम नंबर 2(ए), (बी) और (सी) में संदर्भित किया गया है।

7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ ☐

फार्म-8(सी)

{नियम-15(1)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता को नये कुओं के लिये प्रधिकृत/अनापत्ति प्रमाण पत्र

(यू/एस 14 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

प्राधिकृत/अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या :

तक के लिये वैध :

1. (क) आवेदक का नाम (उपभोगता) : श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री.....
   (ख) आवेदक का पता :
   (ग) किसान की श्रेणी (कृपया टिक करें) : छोटे किसान/सीमांत किसान/अन्य
   (घ) आवेदन संख्या का क्रमांक तथा जमा करने की तिथि :
   (च) आवेदक का हस्ताक्षर नमूना :
2. स्थान का विवरण :
   (क) जिला
   (ख) विकास खण्ड
   (ग) प्लाट संख्या
   (घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0 /तह सं0
3. मौजूदा कुऐं एवं पम्पिंग डिवाइस का विवरण :
   (क) कुएँ का प्रकार :
   (ख) कुएँ की लगभग गहराई (मी0)
   (ग) कुएँ का उद्देश्य :
   (घ) निर्माण आकार (नलकूप के लिये)
   (च) छलनी की स्थिति (नलकूप के लिये)
   (छ) व्यास (डग वेल के लिये)
   (ज) उपयोग में लाये जा रहे पम्प का प्रकार :
   (झ) पम्प का एच0पी0 :
   (ट) संचालन उपकरण :
   (ठ) निकासी के दर की अधिकतम सीमा ($मी^3$/घण्टे)
   (ड) दैनिक चलने की अधिकतम सीमा
   (ढ) भूगर्भ जल के वार्षिक निकासी की अधिकतम सीमा

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक (उपयोगकर्ता) को सीरियल नंबर (2) में निर्दिष्ट स्थान पर एक कुएं के लिए अधिकृत करता है, जो भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए, जैसा कि सीरियल नंबर (3जे) में दिखाया गया है, दर से अधिक नहीं है, जो जैसा कि सीरियल नंबर (3क) में दिखाया गया है, घंटे/दिन चल रहा है और सीरियल नंबर (3क) में दिखाए गए अनुसार भूजल के अधिकतम स्वीकार्य वार्षिक निष्कर्षण के लिए है। इस ओवरलीफ में कही गयी शर्तों के पालन के लिए मान्य है।

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर
और पदनाम

शर्तें :-

(1) प्रस्तावित कुएं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में, नया प्राधिकरण प्राप्त करना होगा।

(2) इस प्रमाणपत्र के क्रमांक (2) और (3) में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के संबंध में स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पंपिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन इस प्राधिकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।

(3) निकाले गए भूजल की मात्रा को मापने और रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से, प्रत्येक उपयोगकर्ता ने पानी के मीटर की पुष्टि की होगी, जो पंपिंग उपकरणों के आउटलेट पर दर और निष्कर्षण की मात्रा रिकॉर्ड करता है और यह माना जाएगा कि मीटर द्वारा दर्ज की गई मात्रा जब तक विपरीत साबित न हो जाए, उक्त उपयोगकर्ता द्वारा निकाला गया है। आइटम 3 (क) में दिखाए गए कुएं से भूजल के निष्कर्षण की दर पानी के मीटर से दर्ज की गई दर से अधिक नहीं होगी।

(4) जिला भूजल प्रबंधन परिषद, अगर स्थिति की मांग है, तो गुणवत्ता के खतरों या किसी अन्य कारणों से कुओं से भूजल के निकासी को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।

(5) प्रस्तावित कुएं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में, नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

(6) इस प्रमाणपत्र के क्रमांक (2) और (3) में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के संबंध में स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पंपिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन इस प्राधिकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।

(7) यदि इस पंजीकरण को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विवरण/सूचना को बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है, तो यह पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

(8) प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(9) पीजोमीटर का निर्माण और टेलीमेट्री के साथ डिजिटल जल स्तर रिकार्डर की स्थापना उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगी। पीजोमीटर की गहराई और जोन का दोहन पंपिंग कुओं के साथ किया जाना चाहिए। डिजिटल जल स्तर रिकार्डर से प्राप्त डेटा, मासिक आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) पीजोमीटर की स्थापना और उनकी निगरानी के लिए दिशा निर्देश :-

पीजोमीटर एक बोरवेल/ट्यूबवेल है जिसका उपयोग केवल टेप/साउंडर या स्वचालित जल स्तर मापने वाले उपकरण को कम करके पानी के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। जब भी जरूरत हो पानी के गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पीजोमीटर की स्थापना के लिए सामान्य दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं :

- पंपिंग कुएं से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर पीजोमीटर स्थापित /निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से भूजल निकाला जा रहा है। पीजोमीटर का व्यास लगभग 4'' से 6'' होना चाहिए।
- पीजोमीटर की गहराई समान होनी चाहिए क्योंकि पंपिंग कुएं के मामले में जहां से भूजल का सार हो रहा है। यदि, एक से अधिक पीजोमीटर स्थापित हैं, तो दूसरे पीजोमीटर को उथले भूजल की निगरानी करनी चाहिए। यह उथले के साथ-साथ गहरे भूजल जलभरण निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।
- मापने की आवृत्ति मासिक होनी चाहिए और माप की सटीकता सेमी तक होनी चाहिए। सूचित माप दो दशमलव तक मीटर में दिया जाना चाहिए।
- जल स्तर साउंडर या स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर (AWLR)/डिजिटल स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर (DWLR) की माप के लिए टेलीमेट्री सिस्टम का उपयोग सटीकता के लिए किया जाना चाहिए।

- पीजोमीटर में जल स्तर का माप लिया जाना चाहिए, इसके बाद ही आसपास के नलकूपों से पंपिंग लगभग चार से छह घंटे के लिए रोक दी गई है।
- निर्देशांक, कम स्तर (मतलब स्तर के संबंध में), गहराई, जोन टेप और असेंबली कम के बारे में सभी विवरण पाईजोमीटर को भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, और इसके सत्यापन के लिए हाइड्रोग्राफ मॉनिटरिंग सिस्टम में लाने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
- प्री-मानसून (मई/जून) और पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवंबर) अवधि के दौरान भूजल की गुणवत्ता को एक वर्ष में दो बार मॉनिटर करना पड़ता है। एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से गुणवत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा, एक नमूना (1 लीटर क्षमता की बोतल) संबंधित निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश को रासायनिक विश्लेषण के लिए।
- स्थान, पाईजोमीटर/ट्यूबवेल नंबर, मानक संदर्भ और पहचान के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल की गहराई और जोन टैप किए जाने के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल साइट पर एक स्थायी डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।
- माप के लिए सुरक्षा और पहुंच के संबंध में किसी अन्य साइट की विशिष्ट आवश्यकता का ध्यान रखा जा सकता है।

(11) जिला भूजल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है।

(12) यदि इस परमिट को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई विशेष जानकारी, जो किसी भी बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाई जाती है, यह परमिट रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

कार्यालय की मोहर

फार्म-8(ई)

{नियम-15(2)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता को नये कुओं के लिये प्रधिकृत/अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण

प्राधिकृत/अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या :

तक के लिये वैध :

1. (क) आवेदक का नाम (उपभोगता) : श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री.....
   (ख) आवेदक का पता :
   (ग) किसान की श्रेणी (कृपया टिक करें) : छोटे किसान/सीमांत किसान/अन्य
   (घ) आवेदन संख्या का क्रमांक तथा जमा करने की तिथि :
   (च) आवेदक का हस्ताक्षर नमूना :
2. कृपया केंद्रीय भूजल प्राधिकरण या भूजल विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. का विवरण प्रस्तुत करें। एन0ओ0सी0 निर्गत किया गया (कृपया टिक करें) :

   केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ☐

   भूगर्भ जल विभाग ☐

3. स्थान का विवरण :
   (क) जिला
   (ख) विकास खण्ड
   (ग) प्लाट संख्या
   (घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0 /तह सं0
4. मौजूदा कुऐं एवं पम्पिंग डिवाइस का विवरण :
   (क) कुएँ का प्रकार :
   (ख) कुएँ की लगभग गहराई (मी0)
   (ग) कुएँ का उद्देश्य :
   (घ) निर्माण आकार (नलकूप के लिये)
   (च) छलनी की स्थिति (नलकूप के लिये)
   (छ) व्यास (डग वेल के लिये)
   (ज) उपयोग में लाये जा रहे पम्प का प्रकार :
   (झ) पम्प का एच0पी0 :
   (ट) संचालन उपकरण :
   (ठ) निकासी के दर की अधिकतम सीमा ($मी^3$/घण्टे)
   (ड) दैनिक चलने की अधिकतम सीमा
   (ढ) भूगर्भ जल के वार्षिक निकासी की अधिकतम सीमा

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक (उपयोगकर्ता) को सीरियल नंबर (2) में निर्दिष्ट स्थान पर एक कुएं के लिए अधिकृत करता है, जो भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए, जैसा कि सीरियल नंबर (3जे) में दिखाया गया है, दर से अधिक नहीं है, जो जैसा कि सीरियल नंबर (3क) में दिखाया गया है, घंटे/दिन चल रहा है और सीरियल नंबर (3क) में दिखाए गए अनुसार भूजल के अधिकतम स्वीकार्य वार्षिक निष्कर्षण के लिए है। इस ओवरलीफ में कही गयी शर्तों के पालन के लिए मान्य है।

आपका आभारी,

जारी करने वाले प्राधिकारी का

हस्ताक्षर

और पदनाम

<u>शर्तें</u> :-

(1) प्रस्तावित कुएं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में, नया प्राधिकरण प्राप्त करना होगा।

(2) इस प्रमाणपत्र के क्रमांक (2) और (3) में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के संबंध में स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पंपिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन इस प्राधिकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।

(3) निकाले गए भूजल की मात्रा को मापने और रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से, प्रत्येक उपयोगकर्ता ने पानी के मीटर की पुष्टि की होगी, जो पंपिंग उपकरणों के आउटलेट पर दर और निष्कर्षण की मात्रा रिकॉर्ड करता है और यह माना जाएगा कि मीटर द्वारा दर्ज की गई मात्रा जब तक विपरीत साबित न हो जाए, उक्त उपयोगकर्ता द्वारा निकाला गया है। आइटम 3 (क) में दिखाए गए कुएं से भूजल के निष्कर्षण की दर पानी के मीटर से दर्ज की गई दर से अधिक नहीं होगी।

(4) जिला भूजल प्रबंधन परिषद, अगर स्थिति की मांग है, तो गुणवत्ता के खतरों या किसी अन्य कारणों से कुओं से भूजल के निकासी को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।

(5) प्रस्तावित कुएं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में, नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

(6) इस प्रमाणपत्र के क्रमांक (2) और (3) में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के संबंध में स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पंपिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन इस प्राधिकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।

(7) यदि इस पंजीकरण को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विवरण/सूचना को बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है, तो यह पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

(8) पीजोमीटर का निर्माण और टेलीमेट्री के साथ डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर की स्थापना उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगी। पीजोमीटर की गहराई और जोन का दोहन पंपिंग कुओं के साथ किया जाना चाहिए। डिजिटल जल स्तर रिकार्डर से प्राप्त डेटा, मासिक आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

(9) <u>पीजोमीटर की स्थापना और उनकी निगरानी के लिए दिशा निर्देश :-</u>

पीजोमीटर एक बोरवेल/ट्यूबवेल है जिसका उपयोग केवल टेप/साउंडर या स्वचालित जल स्तर मापने वाले उपकरण को कम करके पानी के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। जब भी जरूरत हो पानी के गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पीजोमीटर की स्थापना के लिए सामान्य दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं :

- पंपिंग कुएं से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर पीजोमीटर स्थापित /निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से भूजल निकाला जा रहा है। पीजोमीटर का व्यास लगभग 4'' से 6'' होना चाहिए।
- पीजोमीटर की गहराई समान होनी चाहिए क्योंकि पंपिंग कुएं के मामले में जहां से भूजल का सार हो रहा है। यदि, एक से अधिक पीजोमीटर स्थापित हैं, तो दूसरे पीजोमीटर को उथले भूजल की निगरानी करनी चाहिए। यह उथले के साथ-साथ गहरे भूजल जलभरण निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।
- मापने की आवृत्ति मासिक होनी चाहिए और माप की सटीकता सेमी तक होनी चाहिए। सूचित माप दो दशमलव तक मीटर में दिया जाना चाहिए।
- जल स्तर साउंडर या स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर (AWLR)/डिजिटल स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर (DWLR) की माप के लिए टेलीमेट्री सिस्टम का उपयोग सटीकता के लिए किया जाना चाहिए।
- पीजोमीटर में जल स्तर का माप लिया जाना चाहिए, इसके बाद ही आसपास के नलकूपों से पंपिंग लगभग चार से छह घंटे के लिए रोक दी गई है।
- निर्देशांक, कम स्तर (मतलब स्तर के संबंध में), गहराई, जोन टेप और असेंबली कम के बारे में सभी विवरण पाईजोमीटर को भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, और इसके सत्यापन के लिए हाइड्रोग्राफ मॉनिटरिंग सिस्टम में लाने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
- प्री-मानसून (मई/जून) और पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवंबर) अवधि के दौरान भूजल की गुणवत्ता को एक वर्ष में दो बार मॉनिटर करना पड़ता है। एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से गुणवत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा, एक नमूना (1 लीटर क्षमता की बोतल) संबंधित निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश को रासायनिक विश्लेषण के लिए।
- स्थान, पाईजोमीटर/ट्यूबवेल नंबर, मानक संदर्भ और पहचान के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल की गहराई और जोन टैप किए जाने के लिए पाईजोमीटर/ट्यूबवेल साइट पर एक स्थायी डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।
- माप के लिए सुरक्षा और पहुंच के संबंध में किसी अन्य साइट की विशिष्ट आवश्यकता का ध्यान रखा जा सकता है।

(10) जिला भूजल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है।

(11) यदि इस परमिट को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई विशेष जानकारी, जो किसी भी बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाई जाती है, यह परमिट रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

कार्यालय की मोहर

फार्म-8(डी)

{नियम-15(1)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

कुएँ के प्राधिकृत/अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन के अस्वीकृति पत्र

(यू/एस 14 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

क्रमांक :- दिनांक :-

सेवा में,

श्री/श्रीमती.....

विषय :- कुएँ के प्राधिकृत के लिये आवेदन की अस्वीकृति।

संदर्भ : आपका आवेदन संख्या : जमा करने का दिनांक :

महोदय/महोदया,

आपको सूचित करना है कि आपका आवेदन संख्या.....दिनांक..... जो कुएं के पंजीकरण के अनुदान के लिए प्रेषित किया गया है, निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जाता है:

(1) अपूर्ण आवेदन।

(2) अपेक्षित दस्तावेजों को जमा नहीं करना।

(3) अपेक्षित आवेदन शुल्क के भुगतान में कमी।

(4) आवेदन शुल्क गलत मद में जमा करने के कारण।

(5) अन्य।

आपका आभारी,

जारी करने वाले प्राधिकारी का

हस्ताक्षर

फार्म-5(ए)

{नियम-11(1)देखें}

(नई ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण)

श्री/श्रीमती :

बुक सं0- आवेदन पत्र क्रम सं0 :-

नई ड्रिलिंग एजेंसियों के पंजीकरण के लिए फार्म

(यू/एस 16 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

1. आवेदक/फर्म के बारे में विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(च) फर्म की पैन संख्या :

(छ) फर्म की जी0एस0टी0 संख्या :

(ज) राष्ट्रीयता :

(झ) आवेदक का पता :

2. वह जिला जिसमें फर्म ड्रिलिंग कार्य करना चाहती है :

नोटः एक से अधिक जिलों के लिए, फर्म को अलग से जिला भूगर्भ जल परिषद को आवेदन करना होगा।

3. ड्रिलिंग मशीन/मशीनों का विवरण दें :

4. ड्रिलिंग का उद्देश्य : (कृपया टिक करें) :

(क) शासकीय कार्य : (हाँ/नही)

(ख) निजी कार्य : (हाँ/नही)

(ग) दोनोः (हाँ/नही)

5. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :

(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान किया गया:

(1) रुपया :

(2) वाउचर संख्या :

(3) दिनांक :

(ख) ट्रेजरी/सब-ट्रेजरी/पी0एस0यू0 बैंक जहॉ आवेदन शुल्क भुगतान किया गया है-

(ग) बैंक की शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -

6. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूं कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि नये कुओं के प्रधिकृत/अनापत्ति प्रमाण के आवेदन हेतु किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
   (क) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
   (ख) पैनकार्ड की छायाप्रति
   (ग) जी0एस0सी0 नम्बर की छायाप्रति
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ ☐

फार्म-5(बी)

{नियम-11(2)देखें}

(मौजूदा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण)

श्री/श्रीमती :

बुक सं0- आवेदन पत्र क्रम-सं0 :-

मौजूदा ड्रिलिंग एजेंसियों के पंजीकरण के लिए फार्म

(यू/एस 16 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

7. आवेदक/फर्म के बारे में विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरुष/स्त्री

(च) फर्म की पैन संख्या :

(छ) फर्म की जी0एस0टी0 संख्या :

(ज) राष्ट्रीयता :

(झ) आवेदक का पता :

8. वह जिला जिसमें फर्म ड्रिलिंग कार्य करना चाहती है :

नोटः एक से अधिक जिलों के लिए, फर्म को अलग से जिला भूगर्भ जल परिषद को आवेदन करना होगा।

9. ड्रिलिंग मशीन/मशीनों का विवरण दें :

10. ड्रिलिंग का उद्देश्य : (कृपया टिक करें) :

(क) शासकीय कार्य : (हाँ/नही)

(ख) निजी कार्य : (हाँ/नही)

(ग) दोनों : (हाँ/नही)

11. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :

(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान किया गया:

(1) रुपया :

(2) वाउचर संख्या :

(3) दिनांक :

(ख) ट्रेजरी/सब-ट्रेजरी/पी0एस0यू0 बैंक जहाँ आवेदन शुल्क भुगतान किया गया है-

(ग) बैंक की शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) -

12. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही और सच्चे हैं। मैं समझता हूं कि यदि जाँच और जाँच या उसके बाद किसी भी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन खारिज या रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

नोट :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि नये कुओं के प्रधिकृत/अनापत्ति प्रमाण के आवेदन हेतु किसी विवरण/ सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं हैं उनके लिये 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-
   (क) आधार कार्ड /वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
   (ख) पैनकार्ड की छायाप्रति
   (ग) जी0एस0सी0 नम्बर की छायाप्रति
7. संबंधित प्राधिकरण मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (एस) के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है

मैं सहमत हूँ ☐

फार्म-6(ए)

{नियम-11(3)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

(नई ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र)

(यू/एस 16 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, „ड्रॉ‹)

पंजीकरण संख्या .....

1. (क) फर्म का नाम
   (ख) आवेदक का नाम : श्री/श्रीमती.....
   (ग) पुत्र/पुत्री
   (घ) आवेदक का पता
   (च) आवेदन फार्म क्रमांक..... जमा करने का दिनांक.....
   .....
2. जिले का नाम जिसमें ड्रिलिंग के लिए एजेंसी पंजीकृत है :

पंजीकरण का यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, जो ओवरलीफ शर्तों के अनुसार है।

स्थान :

दिनांक :

आपका आभारी,

जारी करने वाले प्राधिकारी का

हस्ताक्षर

और पदनाम

शर्तें :-

(1) ड्रिलिंग एजेंसी अधिसूचित क्षेत्रों में कोई ड्रिलिंग कार्य नहीं करेगी। अधिसूचित क्षेत्रों की सूची वेबपोर्टल WWW.upgwdonline.in से डाउनलोड की जा सकती है।

(2) ड्रिलिंग एजेंसी भूजल गुणवत्ता संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में कोई ड्रिलिंग कार्य नहीं करेगी। भूजल गुणवत्ता संवेदनशील क्षेत्रों की सूची वेबपोर्टल www.upgwdonline.in से डाउनलोड की जा सकती है।

(3) एक से अधिक जिलों के लिए, फर्म को अलग से जिला भूगर्भ जल परिषद में आवेदन करना होगा।

(4) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाई जा सकती है।

कार्यालय की मोहर

फार्म-6(बी)

{नियम-11(4)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

(मौजूदा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र)

(यू/एस 16 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

पंजीकरण संख्या .....

3. (क) फर्म का नाम
   (ख) आवेदक का नाम : श्री/श्रीमती.....
   (ग) पुत्र/पुत्री
   (घ) आवेदक का पता
   (च) आवेदन फार्म क्रमांक..... जमा करने का दिनांक.....
   .....
4. जिले का नाम जिसमें ड्रिलिंग के लिए एजेंसी पंजीकृत है :

पंजीकरण का यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, जो ओवरलीफ शर्तों के अनुसार है।

स्थान :

दिनांक :

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर
और पदनाम

शर्तें -

(1) ड्रिलिंग एजेंसी अधिसूचित क्षेत्रों में कोई ड्रिलिंग कार्य नहीं करेगी। अधिसूचित क्षेत्रों की सूची वेबपोर्टल www.upgwdonline.in से डाउनलोड की जा सकती है।

(2) ड्रिलिंग एजेंसी भूजल गुणवत्ता संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में कोई ड्रिलिंग कार्य नहीं करेगी। भूजल गुणवत्ता संवेदनशील क्षेत्रों की सूची वेबपोर्टल www.upgwdonline.in से डाउनलोड की जा सकती है।

(3) एक से अधिक जिलों के लिए, फर्म को अलग से जिला भूगर्भ जल परिषद में आवेदन करना होगा।

(4) जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाई जा सकती है।

कार्यालय की मोहर

फार्म-7(ए)

{नियम-11(3)देखें}

(जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

(ड्रिलिंग एजेंसियों के पंजीकरण हेतु आवेदन का रद्दीकरण पत्र)

(यू/एस 16 उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019)

संख्या : दिनांक :

सेवा में,

श्री/श्रीमती/मै0.....

विषय :- ड्रिलिंग के अनुमोदन हेतु पंजीकरण के लिये आवेदन का रद्दीकरण।

संदर्भ : आपका आवेदन संख्या : जमा करने का दिनांक :

महोदय/महोदया,

आपको सूचित करना है कि आपका आवेदन संख्या.....दिनांक..... जो कुएं के पंजीकरण के अनुदान के लिए प्रेषित किया गया है, निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जाता है:

(1) अपूर्ण आवेदन।

(2) अपेक्षित दस्तावेजों को जमा नहीं करना।

(3) अपेक्षित आवेदन शुल्क के भुगतान में कमी।

(4) आवेदन शुल्क गलत मद में जमा करने के कारण।

(5) अन्य।

आपका आभारी,

जारी करने वाले प्राधिकारी का

हस्ताक्षर